

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।



दिनांक=11/07/2023

विषय— श्री मैटु कुमार द्वारा भागलपुर जिलान्तर्गत अकबरनगर मौजा के खाता संख्या—1154, 2317, खेसरा संख्या 6839, 6840 थाना संख्या—62 थाना—अकबरनगर, अंचल—सुल्तानगंज में SH-85 अकबरनगर—शाहकुण्ड पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.02025 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— आपका पत्रांक FC/100/2021-473 दिनांक 30.06.2023  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/144838/2021/1212, दिनांक 22.06.2023 द्वारा दो भाग में Stage-I की स्वीकृति प्रदान की गयी है। भाग—A में 1 से 6 एवं भाग—B में 1 से 9 शर्तें अधिरोपित की गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ—

भाग—A

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 8,65,161/— मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 05.07.2023 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. UCBAH23186754507 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।
2. NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.02025 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9.57780 लाख प्रति हे० की दर से कुल रु० 19,395/— बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 05.07.2023 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. UCBAH23186754507 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 के खाता में दिनांक 05.07.2023 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4. जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण—पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।
5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

6. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website- <http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।

**भाग-B**

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूँगा।
2. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 8,65,161/- मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 05.07.2023 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. UCBAH23186754507 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
  - a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
  - b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
  - c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
  - d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- 8 (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
  - (b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
  - (c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

**अनु०-यथोक्त**

विश्वासभाजन,

**सैंटु कुमार**

मैंटु कुमार,

पिता-श्री भेदी यादव,

ग्राम-बसंतपुर, पोस्ट+थाना-अकबरनगर

जिला-भागलपुर

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank  
of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 03-07-2023

|                  |                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agency Name.     | MAINTU KUMAR                                                                                          |
| Application No.  | 70144838159                                                                                           |
| MoEF/SG File No. | FP/BR/APPROACH/144838/20                                                                              |
| Location.        | BIHAR                                                                                                 |
| Address.         | Maintu Kumar S/o Sri Bhedi<br>Yadav Vill Basantpur PO+PS<br>Akbarnager District<br>BhagalpurBhagalpur |
| Amount(in Rs)    | 884556/-                                                                                              |

Amount in Words : Eight Lakh Eighty-Four Thousand Five  
Hundred and Fifty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following  
details;

|                         |                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beneficiary Name:       | BIHAR CAMPA                                                                                              |
| IFSC Code:              | UBIN0996335                                                                                              |
| Pay to Account No.      | 1506270144838159<br><b>Valid only for this<br/>challan amount.</b>                                       |
| Bank Name &<br>Address: | Union Bank Of India<br>FCS Centre, 21/1, III Floor,<br>Jelitta Towers, Mission<br>Road, Bengaluru-560027 |

- This Challan is strictly to be used for making  
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

**Note:** After making the required payment through c  
even after 7 working days, then kindly mail a copy  
id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse  
ubin0903710@unionbankofindia.bank

Print

UCBAH23186754507

Sauhr  
05/07/23





बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
कार्यालय, वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमण्डल, भागलपुर  
सुन्दरवन, हनुमान घाट, बरारी रोड, भागलपुर पिन - 812003  
ई-मेल - dfobhagalpur@gmail.com

पत्रांक : - 189

भागलपुर, दिनांक : - 03 / 02 / 2023

प्रेषक,

भरत चिन्तपल्लि "भा०व०से०"  
वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),  
सह - नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

विषय :- FRA 2006 प्रमाण - पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला पदाधिकारी, भागलपुर के ज्ञापांक - 300, दिनांक - 20/01/2023 द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी श्री मैटु कुमार, मौजा - अकबरनगर, थाना - अकबरनगर, थाना सं० - 62, खाता सं० - 1154 एवं 2317, खेसरा / प्लॉट नं० - 6839 एवं 6840, रकबा (हे०) - 0.02025, अंचल - सुल्तानगंज, जिला - भागलपुर द्वारा HPCL का पेट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट निर्माण से संबंधित FRA 2006 प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। उक्त प्रमाण - पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अनु०: - यथोक्त।

विश्वासभाजिस

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर।

32

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, भागलपुर के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु

FRA 2006 प्रमाण-पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली  
द्वारा दिनांक 28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या.....दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि भागलपुर जिला में प्रयोक्ता एजेंसी श्री मैटु कुमार, मौजा-अकबरनगर, थाना-अकबरनगर, थाना सं०-62, खाता सं०-1154 एवं 2317, खेसरा/प्लॉट नं०-6839 एवं 6840, रकबा (ह०)-0.02025, अंचल-सुलतानगंज, जिला-भागलपुर द्वारा HPCL का पेट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट निर्माण हेतु सुरक्षित वन भूमि अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-980 दिनांक-27.10.2021 द्वारा FRA, 2006 प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है। उप वन संरक्षक (कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग) बिहार पटना के पत्रांक-627 दिनांक-08.07.2022 के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, भागलपुर के पत्रांक-4841/सा०, दिनांक-31.12.2022 के द्वारा जौंच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

तदआलोक में अंचल अधिकारी, सुलतानगंज एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, भागलपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होनेवाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक-13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गाँव में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

ज्ञापांक.....300...../सा०, भागलपुर, दिनांक 20/01/2023

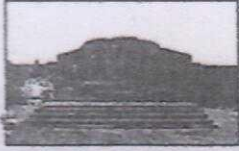
- प्रतिलिपि :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- उप वन संरक्षक (कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग), बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह०  
जिलाधिकारी,  
भागलपुर।

जिलाधिकारी,  
भागलपुर।

TO FCA

28/1/23



अनुमण्डल कार्यालय, सदर, भागलपुर  
सामान्य शाखा



पत्रांक- 4841/सा0

प्रेषक,

अनुमण्डल पदाधिकारी,  
सदर, भागलपुर।

सेवा में,

वरीय उप समाहर्ता,  
जिला सामान्य शाखा,  
भागलपुर।

भागलपुर, दिनांक- 31 दिसम्बर, 2022

विषय :- वन संरक्षण अधिनियम-1980 अंतर्गत वन अपयोजन से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक-3651/सा0, दिनांक-04.09.2022 तथा इस कार्यालय के पत्रांक-3912/सा0, दिनांक-18.10.2022 एवं अंचलाधिकारी, सुलतानगंज का पत्रांक-2836 दिनांक-19.11.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंचलाधिकारी, सुलतानगंज से प्राप्त प्रतिवेदन अनुलग्नक के रूप में संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

विश्वासभाजन

अनुमण्डल पदाधिकारी,  
सदर, भागलपुर।

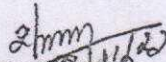
कार्यालय अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, भागलपुर के तहत रैखिक निर्माण हेतु  
FRA, 2006 का प्रमाण-पत्र

(भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-  
28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

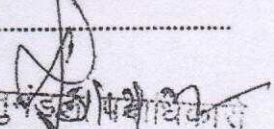
संख्या- ..... दिनांक- .....

अंचल अधिकारी, सुलतानगंज का पत्र सं०-2836 दिनांक-19.11.22 द्वारा  
प्रतिवेदित किया गया है कि परियोजना क्षेत्र ..... में थाना-अकबरनगर, थाना सं०-62,  
खाता सं०- 1154 एवं 2317 खेसरा सं०- 6839 एवं 6840 से SH-85  
अकबरनगर-शाहकुण्ड पथ के किनारे HPCL/BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने  
हेतु वन भूमि (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत 0.02025 हेक्टेयर भूमि पर वर्ष 2001  
एवं 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति नहीं है।

प्राप्त अनुशंसा एवं जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि  
प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होने वाली  
भूमि पर अवस्थित वृक्षरोपण दिनांक-13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि  
के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गावों में वर्ष 2001 एवं 2011  
की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

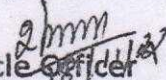
  
अंचल अधिकारी,  
.....

अनुमण्डल पदाधिकारी  
.....

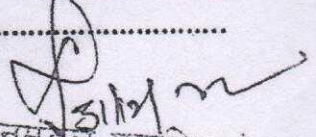
  
अनुमंडल पदाधिकारी  
सदर, भागलपुर  
19/11/22  
31/11/22

OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is a plantation  
which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13<sup>th</sup> day of  
December 2005 and is located in villages having no recorded population of  
Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and Census-2011.

  
Circle Officer  
.....

Sub divisional Officer  
.....

  
अनुमंडल पदाधिकारी  
सदर, भागलपुर  
19/11/22